

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर।

दिनांक 25/10/2020

पत्र संख्या:-6692का0क्षे0/333का0क्षे0/भवन/20

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
कन्नौज-फर्सखाबाद वृत्त,
लो0नि0वि0, कन्नौज।

विषय:- यू0पी0 रोड साइड लैंड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत जनपद कन्नौज में छिवरामऊ सौरिख बिधूना मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-13) के किमी0 15.00 (चैनेज 14.815 से चैनेज 14.850) में गाटा सं0-1994, ग्राम व पोस्ट सौरिख, तहसील छिवरामऊ, जिला कन्नौज में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 3222सी0/35सी0-क0फ0वृ0/20 दिनांक 14.09.2020

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रस्तावित रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अतः प्रस्तावित रिटेल आउट लेट की स्थापना के लिये आपकी संस्तुति तथा शासनादेश सं0 1882/23-12-19-1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ की 06 माह के अन्तर्गत रिटेल आउटलेट का निर्माण पूर्ण होने की शर्त के साथ प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

1. रिटेल आउटलेट का निर्माण जनपद कन्नौज में छिवरामऊ सौरिख बिधूना मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-13) के किमी0 15.00 (चैनेज 14.815 से चैनेज 14.850) में गाटा सं0-1994, ग्राम व पोस्ट सौरिख, तहसील छिवरामऊ, जिला कन्नौज में प्रस्तावित है।
2. रिटेल आउटलेट का निर्माण जनपद कन्नौज में छिवरामऊ सौरिख बिधूना मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-13) के किमी0 15.00 (चैनेज 14.815 से चैनेज 14.850) में गाटा सं0-1994, ग्राम व पोस्ट सौरिख, तहसील छिवरामऊ, जिला कन्नौज में बांधी ओर पड़ेगा।
3. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
4. यू0पी0 रोड साइड लैंड कन्ट्रोल रूल 1964 के नियम 7 के अनुसार आवेदक को प्रस्तावित निर्माण एवं रिटेल आउटलेट लगाने की अनुमति सड़क के मध्य से 18.29 मी0 अर्थात् 60 फुट की दूरी पर निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जा सकता है:-
 - (I) आवेदक को निर्माण/पेट्रोल/डीजल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त निजी खर्च से दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा।
 - (II) इस प्रकार की कोई भी स्थायी व अस्थायी संरचना नहीं की जायेगी, जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।
 - (III) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बहाव इस प्रकार करना होगा कि पानी बिना अवरोध के सीधा नाली में ही आये। किसी भी दशा में नाली को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आये।
5. मानचित्र में दिये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किन्हीं भी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मन्त्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिये। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
7. रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) के पहुँच मार्ग का रखरखाव भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 के डीलर द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
8. उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
9. बफर स्ट्रिप का निर्माण शासनादेश सं0 1882/23-12-19-1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 के अनुसार कम से कम 3 मी0 चौड़ी एवं 12 मी0 लम्बी होनी चाहिये।
10. बफर स्ट्रिप एवं रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की वाउन्ड्री के बीच की दूरी दोनों तरफ कम से कम 9.00 मीटर होनी चाहिये।
11. मार्ग पर 300 मीटर की दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) नहीं होना चाहिये।

319-10-29

सुप्रतिम भट्टाचार्य
प्रदेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
प्लॉट-डी, गेड नं. 26 इंडस्ट्रियल एरिया, साइड-बी
पोस्ट ऑफिस पुरा रिफाइनरी, मथुरा-281005

12. रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) के पहुँच मार्ग में 150एम0एम0 जी0एस0बी0, डब्लू0एम0एम0 250 एम0एम0, 50 एम0एम0 जी0बी0एम0 तथा 30 एम0एम0 बी0सी0 का न्यूनतम पेवमेण्ट कम्पोजीशन होना चाहिये। इण्टरलाकिंग कांक्रिट ब्लाक पेवमेण्ट का निर्माण IRC:SP:63 के मानको के अनुसार होना चाहिये।
13. रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) का पेवट एरिया का लेविल सड़क के पेंटेड सतह के मध्य लेविल से न्यूनतम 300 मिलीमीटर नीचे होना चाहिये, ताकि सड़क पर परिसर का पानी न आने पाये।
14. ड्रेनेज हेतु पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 2 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाये।
15. रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि, आर0ओ0डब्लू0 एवं विल्डिंग लाइन के बाहर होना चाहिये तथा निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाये।
16. लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन-बोर्ड लगाना अनुमत्य नहीं होगा।
17. भविष्य में यदि सड़क का चौड़ीकरण होता है और विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाती है तो आवेदक की किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि का आउटलेट के स्वामी के नाम बतौर भूस्वामी दर्ज होने अथवा भूस्वामी द्वारा आउटलेट के स्वामी के नाम पंजीकृत लीज-डीड के निष्पादित किये जाने का सत्यापन (यदि नियमों में इसका प्राविधान हो) राजस्व विभाग द्वारा अवश्य करा लिया जाये। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मा0 न्यायालय में यदि कोई वाद/मुकदमा लम्बित हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कोई विचार न किया जाये।
19. रिप्लेव्मेट साइन बोर्ड/सूचना पट/काशन बोर्ड, अग्निशमन यन्त्र इत्यादि लगवाने की व्यवस्था आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाये।
20. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज को बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 3 मीटर ऊपर रखा जाये।
21. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कदापि प्रभावित न किया जाये।
22. जल-मल निकासी मार्ग की तरफ न किया जाये तथा निर्माण सामग्री को मार्ग के किनारे पटरी पर न रखा जाये।
23. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भे इत्यादि कदापि नहीं लगाये जायेंगे।
24. प्रस्तावित निर्माण कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष समयावधि में न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा।
25. लो0नि0वि0 की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रूप में उपभोगी होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उ0प्र0 सरकार (लोक निर्माण विभाग) का ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र भू-स्वामी/पेट्रोल पम्प मालिक से प्राप्त करने के पश्चात् ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।
26. वेगान्तर लेन में स्थित विद्युत पोल को सुगम आवागमन हेतु सुविधाजनक स्थान पर शिफ्ट किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। दुर्घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रिटेल आउटलेट संचालक की होगी।
27. प्रस्तावित निर्माण कार्य शासनादेश सं0 1882/23-12-19-1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 के प्राविधानों/विशिष्टियों एवं ANNEX-I तथा II A & II B में दिये प्राविधानों के अनुसार ही कराया जाये। यदि सर्कुलर में दिये गये विशिष्टियों/मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
28. शासनादेश सं0 1882/23-12-19-1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 के प्रस्तर-13 के अनुसार प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु नियमानुसार अनुसरण किया जाये।
29. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश सं0 1882/23-12-19-1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 के प्रस्तर-11.2 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 3,00,000.00 (रू0 तीन लाख मात्र) की लाइसेंस फीस सर्कुलर जारी होने की कलेण्डर वर्ष में तथा रू0 10,000.00 प्रोसेसिंग फीस के रूप में आवेदक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कन्नौज के राजस्व मद में जमा कर दिया गया है। लीज खत्म होने की स्थिति में पुनः नवीनीकरण हेतु रू0 10,000.00 का नवीनीकरण शुल्क राजस्व मद में जमा किया जायेगा। संलग्न-मानचित्र- दो प्रति में।

(दिवाकर शुक्ला)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कन्नौज को शासनादेश सं0 1882/23-12-19-1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 के प्रस्तर 13.3 का अनुसरण करते हुए अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रकरण निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुनः प्रेषित करें।

मुख्य अभियन्ता
कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर

319-10-29
सुप्रतिम भट्टाचार्य
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
लॉट-डी- गेट नं. 26 इंडियन एरिया, साइट-बी
पोस्ट ऑफिस-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281005

35000

